16/12/2020

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता अपीलांट उप.। रेस्पो. संख्या 01,02 की तरफ से अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज सिंह जोधा ने उप. होकर वकालतनामा पेश किया शामिल मिसल हो। अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 03,04 के नाम जारी समन तामील शुदा प्राप्त हुए बावजूद तामील/सूचना अनुपस्थित और उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है। अधिवक्ता उभयपक्ष की रेस्टोरेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में जाहिर किया कि अपीलांट का आवेदन न्यायहित में स्वीकार करवाकर गुणावगुण पर सुनवाई का अवसर प्रदान करावे। अधिवक्ता रेस्पो. ने बहस में निवेदन किया कि अपीलांट जानबूझकर न्यायालय में हाजिर नहीं आते है अतः अपीलांट का आवेदन खारिज करमाया जावे।
अधिवक्ता उभयपक्ष को आवेदन पर सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर

P.O.

राजस्व अपील प्राधिकारी

पहुंचा कि अपीलांट का रेस्टोरेशन आवेदन तकनीकी बिंदुओं पर खारिज करने की बजाय न्यायहित में स्वीकार कर अपीलांट को गुणावगुण पर सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा अपीलांट का रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मूल अपील पत्रावली पुनः पुराने नम्बर पर दर्ज कर पत्रावली मुख्यालय जोधपुर पर दिनांक 06/01/2021 को पेश हो। पत्रावली कैफियत शुमार नम्बर से कम होकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर